

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली।

दिनांक-18.08.2021

क्रमांक- आदेश /2021 / 49

---: रिमाण्ड ड्यूटी बाबत आर्थिक सहायित कार्यालय-आदेश ---

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की अधिरायता क्रमांक 12/इ.की./2021 दिनांक 17.08.2021 द्वारा दिनांक 19.08.2021 का कर्मचियर घोषित कर दिनांक 20.08.2021 एवं 21.08.2021 का अवकाश घोषित किये जाने के कारण मैं नीचू भारद्वाज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करौली दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-14 समितित धारा-15 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माह अगस्त 2021 की रिमाण्ड ड्यूटी बाबत पूर्व में जारी आदेश दिनांक 28.06.2021 में निम्नानुसार आर्थिक सहायन करते हुये करौली जिला न्यायाधीश के समस्त धानो की सीमा में उत्तरान होने वाले आग्रयक फौजदारी मुकदमागत में रिमाण्ड, जमानत, मृत्युकांतीन कथन व अन्य आग्रयक फौजदारी कार्य की सुनवाणी हेतु सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने या मुख्यालय पर नही होने की स्थिति में कोलम संख्या-4 में अंकित दिनांक के लिए कोलम संख्या-2 में अंकित पीठासीन अधिकारीमण को निम्नानुसार अधिकृत किया जाता है।

माह अगस्त 2021

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	तारीख
01	02	03	04
1	श्री मुकेश कुमार सोनरिया RJS	न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिचजीरिटी	20 व 22 अगस्त 2021
2	शुशी जिमा आर्थ RJS	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली	21 अगस्त 2021

नोट- उक्तान्वित दिनांक की रिमाण्ड ड्यूटी के अलावा इस कार्यालय का पूर्व आदेश क्रमांक 38 दिनांक 28.06.2021 यथावत रहेगा।
दिनांक-

1. अधिकृत किए गए पीठासीन अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्य दिवस के कार्यालय समय परवात से परवातवर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पन्नित करेंगे।
2. यदि किसी कारण से नियमित तिथि के पूर्ववर्ती या परवातवर्ती दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व नियमित दिवस के लिए नियत किए गए थे।
3. नियत किए दिवस को यदि किसी अवसरिभक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को अनुपस्थित है तो वे किसी अन्य अधिकारी को सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे तथा कार्यालय द्वारा सहायित आदेश पारित होने के परवात ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परिचयाग करें।
4. अवकाश के दिन यदि सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर है तो वह अपने परिशेन से सम्बन्धित उक्त कार्यकरेंगे।

Sd/-
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली

दिनांक- 18.08.2021

क्रमांक- 908

प्रतिनिधि निम्न को सुचनाएं एवं आग्रयक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, करौली।
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक करौली को यारसे सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र
3. सम्बन्धित अधिकारी सर्व श्री.....
4. अवकाश वार एसीरिसन न्यायालय परिसर, करौली।

✓ 5. पीठासीन आधीशर जिला न्यायालय करौली सभी पीठासीन अधिकारीयों एवं न्यायालयों को भेल करे तथा जिला न्यायालय करौली की वेबसाइट पर इस आदेश को अपलोड करे।
6. प्रभाषी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, करौली।
7. आदेश पत्रावली / नोटिस बाई

Sd/-
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली